Reform Circular No.4

Member of Parliament Local Area Development Scheme

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 23364197
E-mail : mplads@nic.in

No. C-23/2011-MPLADS

Dated .....17th June, 2011

To

The Commissioners,
Corporation of Kolkata/Chennai/Delhi
Districts Collectors/District Magistrates/Deputy Commissioners.

Sub: Modifications in the existing MPLADS Guidelines – regarding

Sir,

This Ministry has been receiving various representations and suggestions from various Stake holders from last few years requesting for changes/modifications in various provisions of the Guidelines on MPLAD Scheme. These have been examined and based on the discussion and operational experience on the monitoring of the scheme in the States/UTs, it has been decided to make certain amendments as in the succeeding paragraphs.

2. Para 2.6 of the Guideline may be amended to read as :-

"Each MP will recommend works up to the annual entitlement during the financial year in the format at Annex-III to the concerned District Authority. The District Authority will get the eligible sanctioned works executed as per the established procedure of the State Government".

3. Para 3.12 of the Guidelines may be amended to read as :-

"All recommended eligible works should be sanctioned within 75 days from the date of receipt of the recommendation, after completing all formalities. The District Authority shall, however, inform MPs regarding rejection, if any, within 45 days from the date of receipt of recommendations, with reasons thereof."

4. The following may be added as Para 3.27 to the Guidelines:-

"The District Authority shall maintain and make available a "Shelf of Projects" including projects for SC/ST inhabited areas to MPs. The Shelf of Projects should be suggestive only, so that it provides, flexibility to the MP, to go beyond the list in order to meet the felt needs of the people".

5. This issues with the approval of Hon'ble Minister.

Yours faithfully,

(PANKAJ JAIN)
Additional Secretary

Copy for information to:

1. All Hon'ble Members of Parliament (Lok Sabha/Rajya Sabha).
2. The Secretaries, Nodal Departments, dealing with MPLADS (All States/UTs).
3. Rajya Sabha Committee on MPLADS, Rajya Sabha Secretariat, New Delhi.
4. Lok Sabha Committee on MPLADS, Lok Sabha Secretariat, New Delhi.
5. To all concerned in MPLADS Division.
6. NIC for uploading on the MPLADS Website.

सुधार परिपत्र सं.4

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली-110001
फैक्सः 23364197
ई-मेलः mplads@nic.in

सं.सी-06/2011-एमपीलैड्स

दिनांकः 17 जून, 2011

सेवा में,

आयुक्त,
कोलकाता/ चेन्नई/दिल्ली नगर निगम
जिला कलेक्टर /जिला न्यायाधीश/उपायुक्त ।

विषयः वर्तमान एमपीलैड्स दिशा-निर्देशों में संशोधन ।

महोदय,

मंत्रालय को पिछले कुछ वर्षों से अनेक स्टेकहोल्डर्स से विभिन्न प्रतिवेदन एवं सुझाव प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें एमपीलैड्स योजना संबंधी दिशा-निर्देशों के कई प्रावधानों में परिवर्तन/संशोधन करने का अनुरोध किया गया है । इनकी जांच की गई है और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में योजना के प्रबोधन के कार्य चालन अनुभव एवं विचार-विमर्श के आधार पर अनुवर्ती पेराग्राफों में कुछ सुधार करने का निर्णय लिया गया है ।

2. दिशा-निर्देश के पैरा 2.6 को संशोधन के पश्चात् इस प्रकार पढ़ा जाएः-

"प्रत्येक सांसद वित्तीय वर्ष के दौरान संबंधित जिला प्राधिकारी को अनुबंध-III पर दिए गए प्रपत्र में वार्षिक हकदारी तक के कार्यों की सिफारिश करेगा । जिला प्राधिकारी राज्य सरकार की स्थापित प्रक्रिया के अनुसार पात्र स्वीकृत कार्यों को निष्पादित करवाएगा" ।

3. दिशा-निर्देश के पैरा 3.12 को संशोधन के पश्चात् इस प्रकार पढ़ा जाएः-

"सिफारिश प्राप्त होने की तिथि से 75 दिनों के भीतर सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात् सभी सिफारिश किए गए पात्र कार्य संस्वीकृत किए जाएं । तथापि, जिला प्राधिकारी सिफारिशों की प्राप्ति की तिथि से 45 दिनों के भीतर अस्वीकृति के संबंध में, यदि कोई हो, सांसद को उसके कारण सहित सूचित करेगा" ।

4. निम्नलिखित को दिशा-निर्देशों के पैरा 3.27 के रूप में शामिल किया जाएगाः-

"जिला प्राधिकारी सांसदों को अ.जा./अ.ज.जा. आबादी वाली क्षेत्रों की परियोजनाओं सहित 'परियोजनाओं की सूची' उपलब्ध करवाएगा एवं उसका अनुरक्षण करेगा । परियाजनाओं की सूची केवल सुझावपरक होनी चाहिए ताकि वह सांसद को छूट प्रदान कर सके कि वे लोगों की आवश्यकता को पूर्ण करने के क्रम में सूची से परे जा सकें ।"

5. इसे माननीय मंत्री महोदय की अनुमति से जारी किया जाता है ।

भवदीय,

पंकज जैन

(पंकज जैन)
अपर सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा) ।
2. एमपीलैड्स (सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र) से संबंधित नोडल विभागों के सचिव ।
3. एमपीलैड्स संबधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स संबधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. एमपीलैड्स प्रभाग के संबंधित अधिकारी ।
6. एनआईसी को एमपीलैड्स की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।